

वृहद् पीठ:- शमशेर बहादुर, गुरदेव सिंह और आर.एस. नरूला, न्यायाधिपतिगण

कामता प्रसाद अग्रवाल- याचिकाकर्ता

बनाम

कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, बल्लबगढ़ और अन्य,- प्रत्यर्थीगण

सिविल रिट याचिका संख्या 354 of 1967

सिविल रिट याचिका संख्या 355 of 1967

मई 17, 1968

भारत का संविधान (1950)- अनुच्छेद 276- पंजाब व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार कराधान अधिनियम (VII of 1956)- धारा 3- पंजाब पंचायत समितियाँ और जिला पंचायत अधिनियम (III of 1961)- धारा 64- व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर- ऐसे करों की कुल राशि- क्या 250 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित है- राज्य, नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण- उनमें से प्रत्येक — क्या 250 रुपये की सीमा तक ऐसा कर लगा सकते हैं- अनुच्छेद 276(2)- क्या शब्द "या" का "और" के रूप में प्रयोग किया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकरण अधिकतम 250 रुपये प्रति वर्ष तक का कर लगा सकता है। अनुच्छेद में निर्धारित 250 रुपए की समग्र सीमा व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करों से संबंधित है जो प्रत्येक रूप से राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है। यह समग्र सीमा राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण के लिए पृथक् से है और संयुक्त रूप से नहीं, यानि कि इनमें से प्रत्येक 250 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक कर लगा सकते हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि "या" शब्द का उपयोग 'और' के विकल्प के रूप में एक संयुग्म अर्थ में किया जा सकता है यदि सम्मोहक संदर्भ में विधायी इरादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है जो अन्यथा स्पष्ट है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 276 के प्रावधानों में ही यह सुझाव देने के लिए संकेत हैं कि "या" शब्द का उपयोग जानबूझकर एक असंगत अर्थ में किया गया था और इसके परिणामस्वरूप कर लगाने के लिए 250 रुपये की

सीमा सशक्त प्रत्येक प्राधिकरण की कराधान शक्ति से संबंधित है। ऐसी स्थिति में सरल व्याकरणिक अर्थ को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि राजकोषीय और कराधान कानूनों के मामले में निष्पक्षता और समता पर विचार करने का कोई परिणाम नहीं होता है। न ही सामंजस्यपूर्ण व्याख्या और विधायी इरादे के प्रभाव के सर्वोपरि हितों में "या" के लिए "और" पढ़ने की आवश्यकता है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री टेक चंद द्वारा 25 अगस्त, 1967 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया और मामले का अंत में 17 मई, 1968 को माननीय न्यायमूर्ति श्री शमशेर बहादुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरदेव सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एस. नरूला की एक वृहद् पीठ द्वारा निर्णय लिया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि निषेध की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए मांग नोटिस, दिनांक 20 जनवरी, 1967 के अधीन व्यावसायिक कर के रूप में 200 रुपये की राशि को अधिरोपित करने, लगाने और वसूलने से रोका जाए।

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण श्री बृज बंस किशोर और एस.के. अग्रवाल।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण हरभगवान सिंह, बिरिंदर सिंह और आर.एल. शर्मा, और आनंद स्वरूप, महाधिवक्ता(हरियाणा) और न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता जे.सी. वर्मा।

वृहद् पीठ का आदेश

शमशेर बहादुर, न्यायाधिपति

क्या राज्य या नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एक व्यक्ति के संबंध में व्यवसायों, व्यापारों, आजीविका और रोजगारों पर लगाए जाने वाले करों की कुल राशि 250 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित है या क्या प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा 250 रुपए की राशि की सीमा तक कर लगाया जा सकता है, वह प्रश्न है जिसे पूर्ण पीठ द्वारा इस संदर्भ में निस्तारित किया जाना है? टेक चंद, न्यायाधिपति जिनके

समक्ष ये याचिकाएँ, गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, बल्लभगढ़ (सिविल रिट संख्या 354 of 1967) और कामता प्रसाद अग्रवाल बनाम कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, बल्लभगढ़ (सिविल रिट संख्या 355 of 1967) निस्तारण के लिए आईं, उनका यह विचार था कि अरुणा रानी बनाम जिला बोर्ड, अमृतसर और अन्य¹ के मामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "250 रुपए तक के कर को संविधान के अनुच्छेद 270(2) में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है" मुख्य न्यायाधिपति फलशाँ और न्यायाधिपति हरबंस सिंह की खंड पीठ का ध्यान, न्यायाधिपति महाजन के पूर्व के निर्णय लक्ष्मण दास माखन लाल बनाम पंजाब राज्य² पर नहीं लाया गया था, जिसमें यह टिप्पणी की थी कि व्यावसायिक कर का कुल योग 250 रुपए प्रति वर्ष की राशि से अधिक नहीं हो सकता है, तो पूर्ण पीठ द्वारा इस पर पुनः विचार करना आवश्यक है।

कानून के इस प्रश्न को जन्म देने वाले तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 276 के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना अच्छा होगा जो विवाद का विषय रहे हैं: -

"276(1) अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल का ऐसे करों से संबंधित कोई कानून, जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभ के लिए व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं या रोजगारों के संबंध में है, इस आधार पर अधिमान्य नहीं होगा कि वह आय पर कर से संबंधित है।

(2) किसी एक व्यक्ति के संबंध में राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करों के रूप में संदेय कुल राशि 250 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

¹ I.L.R. (1964) 1 Punj. 787 = A.I.R. 1964 Punj. 383

² A.I.R. 1960 Punj. 394

बशर्ते यदि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी राज्य या किसी ऐसी नगरपालिका, बोर्ड या प्राधिकारी के मामले में व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं या रोजगारों के मामले में, कोई कर प्रवृत्त था, जिसकी दर या अधिकतम दर प्रति वर्ष 250 रुपए से अधिक थी, तो ऐसा कर तब तक लगाया जाता रहेगा जब तक कि संसदीय कानून द्वारा इसके विपरीत उपबंध नहीं किया जाता है और संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया ऐसा कोई कानून या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट राज्यों, नगरपालिकाओं, बोर्डों या प्राधिकारियों के संबंध में बनाया जा सकता है।

(3)”

यह देखा जा सकता है कि "व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं या रोजगारों पर कर" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि संख्या 60 का विषय है।

गुडइयर इंडिया लिमिटेड, जो सिविल रिट संख्या 354 of 1967 में याचिकाकर्ता है, और इस कंपनी के श्रम विभाग के प्रबंधक, कामता प्रसाद जो सिविल रिट संख्या 355 of 1967 में याचिकाकर्ता है; ने प्रत्यर्थी पंचायत समिति, बल्लभगढ़ द्वारा 200 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक, एक श्रेणीबद्ध पैमाने पर, अधिरोपित कर को चुनौती दी है, जिसे संक्षेप में 'व्यावसायिक कर' कहा जा सकता है, जब कि एक समान कर अधिकतम 250 रुपए प्रति वर्ष, जो भी श्रेणीबद्ध पैमाने पर ही है, पहले ही इन याचिकाओं के दूसरे प्रत्यर्थी हरियाणा राज्य द्वारा लगाया जा चुका है और वसूल किया जा रहा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि हालाँकि हरियाणा राज्य ने हमारे समक्ष प्रतिनिधित्व करने का विकल्प नहीं चुना है, परन्तु हमने इसके महाधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप की दलीलें सुनी हैं, जिन्होंने न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता की है।

पंजाब व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार कराधान अधिनियम, 1956 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) 3 मई, 1956 को अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम पंजाब

राज्य के पुनर्गठन, जो कि 1 नवंबर, 1966 को हुआ था, तब तक लागू था। अधिनियम की धारा 3 के तहत:-

"प्रत्येक व्यक्ति जो पंजाब राज्य के भीतर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, या तो स्वयं या किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा व्यापार करता है, या किसी व्यवसाय या आजीविका का अनुसरण करता है या कोई रोजगार करता है, वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यवसाय, व्यापार, आजीविका या रोजगार के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

कर, अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर लगाया जाना था। मोटे तौर पर, 6,000 रुपये से कम आय को इस कर से छूट दी गई थी। ऐसे में जहां एक तरफ, 6,000 रुपए से 8,500 रुपए के मध्य की आय पर 120 रुपए का कर लगाया जा रहा था, वहीं 25,000 रुपए से अधिक की आय पर अधिकतम 250 रुपये का कर लगाया गया था। अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के तहत एक व्यक्ति में "हिंदू अविभाजित परिवार या एक निगमित कंपनी" शामिल है। सिविल रिट संख्या 354 of 1967 में याचिकाकर्ता एक व्यक्ति के रूप में दायी हो गया था और इस अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रति वर्ष के व्यावसायिक कर का भुगतान कर रहा था। सिविल रिट संख्या 355 of 1967 में याचिकाकर्ता इसी प्रकार राज्य सरकार को व्यावसायिक कर का भुगतान कर रहा था और इसे कोषागार अधिकारी, गुड़गांव द्वारा वसूल किया जा रहा था।

पंजाब अस्थायी कराधान अधिनियम, 1962 (पंजाब अधिनियम संख्या 19 of 1962) की धारा 5 के अन्तर्गत, अधिनियम की अनुसूची को संशोधित किया गया ताकि पैमाने को एक छोर पर 1,800 से 3,000 रुपये के मध्य की आय पर देय कर 28 रुपए पर लाया जा सके और दूसरी ओर 11,500 रुपये से अधिक की आय पर 250 रुपए प्रति वर्ष के कर के अधीन लाया जा सके। यह उल्लेख किया जा सकता है कि पंजाब अधिनियम संख्या 6 of 1967 के ज़रिए, अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है और जहां तक पुनर्गठित पंजाब राज्य का संबंध है, अब कोई व्यावसायिक कर नहीं है। हालाँकि, अधिनियम के

प्रावधान हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लागू होते हैं। पंचायत समिति, बल्लभगढ़, प्रथम प्रत्यर्थी, ने 19 सितंबर, 1962 को याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह अनुसूची जो अनुलग्नक 'ओ' है के अनुसार अधिकतम 200 रुपए प्रति वर्ष की दर से व्यावसायिक कर लगाना चाहता है। अब, यह अनुसूची 16 जून, 1956 की पंजाब सरकार की अधिसूचना के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है, जो कि अनुलग्नक 'एम' है। इस अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया था कि जिला बोर्ड, गुड़गांव ने पंजाब सरकार की मंजूरी से व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर लगाया था, एकमात्र छूट उस मामले में थी जहां आय 400 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। पंजाब राज्य में जिला बोर्डों को पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषद अधिनियम, 1961 के परिणामस्वरूप समाप्त कर दिया गया था और बचत प्रावधान के तहत, जो इस अधिनियम की धारा 64 है:-

"यह समझा जाएगा कि एक पंचायत समिति ने उस दर पर कोई कर लगाया था, जिस पर इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, उस जिले के जिला बोर्ड द्वारा कोई कर वैध रूप से लगाया गया था, जिसमें पंचायत समिति स्थित है, जब तक कि इसके विपरीत कोई प्रावधान पंचायत समिति द्वारा सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ नहीं किया जाता है।"

पंचायत समिति द्वारा अपनाई गई दरों की अनुसूची जैसा कि आज प्रचलित है, अनुलग्नक 'ओ' है। व्यावसायिक कर के उद्ग्रहण को श्रेणीबद्ध किया गया है: एक छोर पर 400 रुपए से 500 रुपए की आय हैं, जिन पर 7 रुपए का कर है जबकि उच्चतम ग्रेड 10,000 रुपए से अधिक आय है, जिस पर 200 रुपए प्रति वर्ष का कर लगाया जाता है। यह इस अतिरिक्त व्यावसायिक कर का उद्ग्रहण है जिसकी याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है।

यह गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी जिला बोर्ड का उत्तराधिकारी है और यदि व्यावसायिक कर का उद्ग्रहण जिला बोर्ड के मामले में उचित ठहराया जाता है तो पंचायत समिति,

बल्लभगढ़ के लिए भी अनुमेय होगा। संशोधित अनुसूची, अनुलग्नक 'ओ' के अनुसार व्यावसायिक कर के लिए प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा मांग की गई है।

इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर लगने वाले कर की सीमा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142-क में और संविधान के अनुच्छेद 276 में लगभग समान है, केवल इतनी भिन्नता के साथ कि 250 रुपए प्रति वर्ष की सीमा के स्थान पर 1935 के अधिनियम में 50 रुपए प्रति वर्ष था। धारा 142-क की भाषा अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 276 के लगभग समान है। उपधारा (2) के परन्तुक के साथ धारा 142-क के तीन उपखंड अनुच्छेद 276 के खंड (1) (2) और (3) के समान हैं।

अपने निष्पक्ष और सक्षम तर्क में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री बृज बंश किशोर, यह प्रस्तुत करते हैं कि व्यवसाय, व्यापार, आजीविका या रोजगार पर कर अनुच्छेद 276 में उल्लिखित केवल एक प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है और जब राज्य सरकार ने पहले से ही इसे लागू करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, तो नगर पालिका; जिला परिषद या पंचायत समिति के पास समान कर लगाने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बचा है। अनुच्छेद 276 के खंड (1) में घोषित किया गया है कि ऐसा कर इस आधार पर अमान्य नहीं हो सकता कि यह आय पर कर से संबंधित है। राज्य और प्रथम प्रत्यर्थी, दोनों की अनुसूचियों ने आय की विभिन्न श्रेणियों पर श्रेणीबद्ध व्यावसायिक कर लगाया है और अनुच्छेद 276 के तीन खंडों की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि कर राज्य या नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है। यदि कानून द्वारा अनुमत हो तो एक ही कर विभिन्न निकायों द्वारा लगाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रविष्टि 60 से शक्ति प्राप्त की गई है जहां यह उल्लेख किया गया है कि व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर का विषय राज्य विधान का विषय है और अनुच्छेद 276 भी जो निश्चित रूप से संसद की प्रबल शक्तियों के अधीन है, राज्यों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को इसी तरह का चार्टर या अधिकार देता है। जैसा कि इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ:-

खोसला, मुख्य न्यायाधिपति और महाजन, न्यायाधिपति द्वारा वलाइती राम बनाम रोपड़ नगरपालिका³ के मामले में देखा गया,

"विधायी सूची के मदों को सबसे उदार व्याख्या दी जानी चाहिए और उनके व्यापक आयाम में उनकी व्याख्या की जानी चाहिए और व्याख्या का नियम कि शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, उसका विधायी शक्तियों को प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिनियम के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि राज्य और किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कराधान दोहरे कराधान के बराबर होगा। दोहरे कराधान को रोकने के लिए किसी भी कानून या संवैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं है। मेहर सिंह, न्यायाधिपति (उस समय मुख्य न्यायाधिपति के रूप में) और ग्रोवर, न्यायाधिपति (अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री ग्रोवर) की खंड पीठ ने राम प्रताप बनाम पंजाब राज्य और अन्य⁴ के मामले में पृष्ठ 203 पर कहा है:-

"ऐसी कोई सीमा नहीं है कि एक ही संपत्ति पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है। वास्तव में और सारतः यह भवनों और भूमि पर एक कर है जिसे स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाता है, हालांकि यह कानून द्वारा नहीं अपितु दो अलग-अलग कानूनों द्वारा लाया जाता है।"

यह सिद्धांत जो खंड पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था, वह संपत्ति कर के अधिरोपण से संबंधित था और व्यावसायिक कर पर इसकी प्रयोज्यता को बाहर करने का कोई कारण नहीं है। बाम्बे उच्च न्यायालय के बावडेकर और चैनानी, न्यायाधिपतिगण की पीठ के निर्णय छावनी बोर्ड, पूना बनाम

³ I.L.R. (1961) 1 Punj. 80 = A.I.R. 1960 Punj. 669

⁴ I.L.R. (1963) 1 Punj. 477 = 1963 P.L.R. 197

वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड⁵ में जहां दो अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा मनोरंजन कर लगाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि:-

"संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोहरे कराधान को लागू करने से रोकता है। इस देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया जाता है, एक बार राज्य सरकार के लाभ के लिए और दूसरी बार स्थानीय स्वशासन निकायों के लाभ के लिए, उदाहरण के लिए, जिला बोर्ड या नगर पालिका।"

यही सिद्धांत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ:- न्यायाधिपति सत्यनारायण राजू (बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति) और बेस रेड्डी, न्यायाधिपति द्वारा गरिमेल सत्यनारायणा बनाम पूर्वी गोदावरी नारियल और तंबाकू बाजार समिति⁶ के मामले में प्रतिपादित किया गया था। न्यायाधिपति राजू ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 404 पर कहा कि:

"याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एक अन्य तर्क का उल्लेख करना आवश्यक है, जो अंततः कायम नहीं रहा और वह यह है कि अधिरोपण दोहरे कराधान के बराबर है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत निषिद्ध है। इसी प्रकार का विवाद छावनी बोर्ड, पूना बनाम वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड में भी उठाया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोहरे कराधान को अधिरोपित करने से रोकता है और इस देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया जाता है, एक बार राज्य सरकार के लाभ के लिए और दूसरी बार स्थानीय स्वशासन निकायों के लाभ के लिए, उदाहरण के लिए, जिला स्थानीय बोर्ड या नगरपालिका .."

श्री बृज बांस किशोर का दूसरा तर्क अनुच्छेद 276 के खंड (2) की व्याख्या से संबंधित है। उनके द्वारा प्रथम दृष्टांत में यह प्रस्तुत किया गया कि दो बार आने वाले शब्द 'या' को संयोजक रूप से 'और' के रूप

⁵ A.I.R. 1954 Bom. 261

⁶ A.I.R. 1959 A.P. 398

में पढ़ा जाना चाहिए और ऐसे पढ़े जाने से, इसका अर्थ यह होगा कि राज्य, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर लगाए गए करों की समग्र राशि 250 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में यह प्रस्तुत किया जाता है कि "कुल" और "कर" शब्द बहुलता के तत्व को दर्शाते हैं और 250 रुपये की सीमा से संबंधित होने के कारण, इनमें उल्लिखित सभी कर लगाने वाले अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि "या" शब्द को कभी-कभी "और" के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसके विपरीत भी, यदि विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक पाया जाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि विधायिका का इरादा व्यवसाय कर पर 250 रुपए प्रति वर्ष की सीमा रखने का था। जहाँ तक बहुवचन में उपयोग किए गए "कर" शब्द है, यह आसानी से समझाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के पास ऐसे कर लगाने की शक्ति है जो "व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों" पर एक शीर्ष में एक साथ लगाए जाते हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें से दो या दो से अधिक विषयों को कराधान के उद्देश्य के रूप में चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि एक डॉक्टर अपनी व्यावसायिक प्रैक्टिस कर रहा हो और उसे किसी संगठन के कर्मचारी के रूप में वेतन भी मिल रहा हो। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा हो सकता है और साथ ही कहीं अंशकालिक कर्मचारी भी हो सकता है। यदि 'व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों' पर शुल्क लगाया जाना है तो इस अवसर के लिए उपयुक्त और उचित शब्द 'कर' होगा। यह हो सकता है कि प्रत्यर्थी की ओर से जिस उद्देश्य के लिए प्रतिवाद किया गया है, उसे कानून से "कुल" शब्द को हटाकर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शब्द अपने आप में अनुच्छेद 276 के खंड (2) की आवश्यक सामग्री और अर्थ को नहीं बदलता है। श्री बृज बांस किशोर द्वारा यह बहुत दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि "कुल" शब्द के जानबूझकर उपयोग का अर्थ यह होना चाहिए कि 250 रुपए की सीमा, राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए करों से संबंधित है, लेकिन संदर्भ निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराता है।

क्रॉफर्ड ऑन स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन (1940 संस्करण) में पृष्ठ 322 पर कहा गया है:-

"सामान्य उपयोग में 'या' शब्द एक असंगत शब्द है जो एक विकल्प को चिह्नित करता है जो आम तौर पर 'या तो' शब्द से मेल खाता है। हालाँकि, इस अर्थ के सामने, 'या' और 'और' शब्द का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। विधान में दो शब्दों के इस सामान्य और लापरवाह उपयोग के परिणामस्वरूप, ऐसे अवसर आते हैं जब न्यायालय, व्याख्या के माध्यम से, एक को दूसरे में बदल सकता है। यह तब नहीं किया जा सकता है जब कानून का अर्थ स्पष्ट हो, या यदि परिवर्तन कानून के अर्थ को बदलने के लिए संचालित होता है। यह विधायिका के स्पष्ट आशय को अधिक सटीक रूप से व्यक्त करने या पूरा करने के लिए ही उचित है, जब कानून स्वयं विधायिका की त्रुटि का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है, और विशेष रूप से जहां यह बेतुके या असंभव परिणामों को रोकेगा, या कानून को सुसंगत बनाने और इसके सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए काम करेगा।"

सदरलैंड स्टेच्यूटरी कंस्ट्रक्शन (तीसरा संस्करण) खंड 2 भी, पृष्ठ 450 पर संयुग्म और विभेदक शब्दों के विषय को संदर्भित करता है: -

"जहां एक धारा में दो या दो से अधिक अपेक्षाएं प्रदान की गई हैं और यह विधायी इरादा है कि कानून का पालन करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, तो 'और' संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ किसी आवश्यकता का पालन करने में विफलता दायित्व अधिरोपित करता है, तो वहाँ 'या' का उपयोग किया जाना चाहिए। हालाँकि, इन शब्दों के उपयोग में इतनी ढिलाई रही है कि अदालतों ने आम तौर पर कहा है कि ये शब्द विनिमेय हैं और एक को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यदि ऐसा करना विधायी इरादे के अनुरूप है।"

अंतिम विश्लेषण में, इसलिए, 'या' शब्द का उपयोग 'और' के विकल्प के रूप में एक संयुग्म अर्थ में किया जा सकता है यदि सम्मोहक संदर्भ में विधायी इरादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है जो अन्यथा स्पष्ट है। अनुच्छेद 276 के प्रावधानों में ही यह सुझाव देने के लिए दो संकेत हैं कि 'या' शब्द का उपयोग जानबूझकर असंगत अर्थों में किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 250/- रुपये की सीमा

ऐसा करने के लिए सशक्त प्रत्येक प्राधिकरण की कराधान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 276 के खंड (2) के परंतुक में यह उल्लेख किया गया है कि यदि संविधान के प्रारंभ से पहले किसी राज्य या किसी नगरपालिका, बोर्ड या प्राधिकरण ने 250/- रुपये की सीमा से अधिक कर लगाया था, तो ऐसा कर जारी रह सकता है। पुनः, जब परंतुक "किसी भी राज्य या ऐसी किसी नगरपालिका" की बात करता है तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि दोनों द्वारा कानून द्वारा लगाई गई सीमा तक अलग-अलग कर लगाया जा सकता था।

जहां तक अनुच्छेद 276 के खंड (2) की भाषा का संबंध है, "किसी भी व्यक्ति के संबंध में राज्य को या किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को" शब्द नियोजित हैं। "किसी भी" शब्द "नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण" के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि "किसी भी व्यक्ति के संबंध में राज्य को" शब्दों का उपयोग "किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण" से पहले किया गया है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में सादे व्याकरणिक अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि राजकोषीय और कराधान कानूनों के मामले में निष्पक्षता और समानता पर विचार करने का कोई परिणाम नहीं है। न ही सामंजस्यपूर्ण व्याख्या और विधायी आशय के प्रभाव के सर्वोपरि हितों में "और" के लिए "या" पढ़ने की आवश्यकता है।

श्री बृज बंस किशोर द्वारा प्रतिपादित व्याख्या को स्वीकार करने में एक और कठिनाई है और संभवतः यह अन्याय के रूप में काम कर सकती है। 11, 500 रुपये से अधिक आय के मामले में राज्य द्वारा व्यावसायिक कर लगाने के संबंध में 250 रुपये की सीमा जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, इसका अर्थ यह होगा कि उन आय वाले व्यक्तियों पर, ऐसा कोई और कर नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए और विद्वत अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि यदि अन्य आयों के मामले में उस सीमा तक नहीं पहुंचा जाता है, व्यावसायिक कर को श्रेणीबद्ध किया जा रहा है, वहाँ पर नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को

उस सीमा तक ऐसा कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है कि जो 250 रुपये प्रति वर्ष से कम हो। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति राज्य को 150 रुपये का व्यावसायिक कर का भुगतान कर रहा है, तो स्थानीय प्राधिकरण उस पर 100 रुपये की शेष राशि तक समान कर लगा सकता है, जो 250 रुपये प्रति वर्ष के अनुमेय कुल से कम राशि है। इस तरह की प्रक्रिया एक से अधिक आधारों पर आपत्ति के लिए खुली हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि कम आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है, जबकि उच्च आय वाले व्यक्तियों को बचने की अनुमति दी जाती है। स्थानीय प्राधिकरण केवल कम आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य के अलावा केवल एक ही संभावित स्थानीय प्राधिकरण है जो व्यावसायिक कर लगा सकता है। यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका में आता है तो कोई जिला परिषद या पंचायत समिति नहीं हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप वह केवल नगर पालिका ही होगी जो राज्य के अलावा यह कर लगा सकती है। यदि, दूसरी ओर, कोई क्षेत्र जिला परिषद या पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, तो नगर पालिका तस्वीर में नहीं आती है और परिणामस्वरूप राज्य के अलावा इन दो निकायों में से एक कर लगाने में सक्षम होगा। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सहित केवल दो निकाय ही अधिकतम 250 रुपये प्रति वर्ष तक का व्यावसायिक कर लगा सकते हैं।

सभी संभावित दृष्टिकोण से देखने पर, हम, इसलिए, अभिनिर्धारित करते हैं कि अनुच्छेद 276 में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकरण अधिकतम 250 रुपये प्रति वर्ष तक कर लगा सकता है। इस निष्कर्ष पर स्वतंत्र रूप से पहुंचने के बाद अब हम अरुणा रानी पत्नी नंद किशोर बनाम जिला बोर्ड, अमृतसर के मामले में मुख्य न्यायाधिपति फाल्शॉ और न्यायाधिपति हरबंस सिंह की पीठ के निर्णय की जांच कर सकते हैं। उस मामले में, अमृतसर जिले में अशोक टेक्सटाइल और ट्विस्टिंग मिल्स ऑफ वेरका, अमृतसर जिला बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आई, जो बाद में पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषद अधिनियम, 1961 के तहत जिला परिषद बन गई। जिला बोर्ड ने कर निर्धारिती से व्यावसायिक कर के रूप में 200 रुपये की मांग की थी। यह राज्य कर के अतिरिक्त होने के कारण एक आपत्ति उठाई गई थी

और इसे खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, मुख्य न्यायाधिपति फाल्शाँ ने पृष्ठ 384 पर कहा कि: –

"कोई भी पक्ष किसी ऐसे न्यायिक दृष्टांत का हवाला नहीं दे सका जिसमें संविधान के अनुच्छेद 276(2) की व्याख्या इस प्रकार से की गई हो..... और सवाल यह है कि क्या राज्य और अन्य निकाय उचित मामलों में प्रत्येक 250 रुपए प्रति वर्ष तक का कर लगा सकते हैं या क्या राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए इस प्रकार के करों के कारण किसी व्यक्ति द्वारा देय कुल राशि 250 रुपय से अधिक नहीं हो सकती। मेरी राय में शब्दों से कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इन व्याख्याओं में से पहले वाली सही है। मुझे ऐसा लगता है कि 'किसी एक व्यक्ति के संबंध में राज्य को या किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को देय कुल राशि' शब्दों का अर्थ यह होना चाहिए कि 250 रुपये तक के कर को उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा लगाया जा सकता है और यदि इरादा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित तर्ज पर होता तो शब्दांकन कुछ इस तरह का होता, 'किसी एक व्यक्ति के संबंध में व्यवसायों, व्यापारों, नियुक्तियों या रोजगार पर कर के रूप में देय कुल राशि 250 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी, चाहे वह राज्य, नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया हो।"

मुख्य न्यायाधिपति ने तब कठिनाई के प्रश्न पर विचार किया और उनकी राय में इस प्रावधान की "एक से अधिक इलाकों में एक व्यावसायिक व्यक्ति या एक कर्मचारी पर लागू होने की संभावना नहीं थी, और विभिन्न इलाकों में एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के मामले में यह माना जाना चाहिए कि जहां स्थानीय निकाय द्वारा कर लगाया जाता है, वह कर लगाने वाले विशेष स्थानीय निकाय के क्षेत्र में अर्जित व्यक्ति की आय पर होगा। इस तरह के मामले में ऐसे कई व्यक्ति नहीं होंगे जो प्रत्येक स्थान पर अधिकतम के लिए खुद को उत्तरदायी पाएंगे जहां उन पर कर लगाया जाता है। पीठ ने कहा, "जैसा कि पहले देखा गया है, हमें कानून में इस्तेमाल की गई भाषा का सख्ती से पालन करना होगा और निष्पक्षता या अन्यथा का सवाल शायद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं के विद्वत

वकील और न्यायमूर्ति टेक चंद ने विचार किया कि अरुणा रानी के मामले को निपटाने में खंड पीठ, जिसके समक्ष स्वीकार्य रूप से कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया था, दूसरे दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रख सकती थी जो महाजन, न्यायमूर्ति द्वारा लक्ष्मण दास माखन लाई बनाम पंजाब राज्य में लिया गया था। (2). महाजन, जे., एक रिट याचिका का निपटारा कर रहे थे जो एक ग्राम पंचायत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के खिलाफ निर्देशित किया गया था जिसमें कमीशन एजेंटों पर कमीशन एजेंट के रूप में उनके व्यवसाय से प्राप्त आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया था। पंचायत ने अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके लिए कर लगाया जाना था, और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर कर की राशि रुपये से अधिक हो सकती है। 250, अनुच्छेद 276 द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा। इस स्थिति में विद्वत न्यायाधीश ने याचिका की अनुमति दी और ऐसा करते हुए, निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में एक आज्ञाकारी के रूप में इस प्रकार टिप्पणी की:-

"संविधान के अनुच्छेद 276 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रस्ताव पारित करना पंचायत के लिए खुला होगा, और इसके तहत अन्य राज्य विधायी अधिनियम राज्य के भीतर लगाए गए हैं। 250 रुपए प्रति वर्ष।

अब, विद्वान न्यायाधीश ने संभवतः पहली धारणा के रूप में प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण लिया, और मुझे अपने लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने भी तर्कों की शुरुआत में और समस्या की एक करीबी विश्लेषणात्मक परीक्षा से पहले इसी तरह का सोचा था कि पेशेवर कर का योग रुपये की राशि से अधिक नहीं हो सकता है। 250 रुपए प्रति वर्ष। न्यायमूर्ति महाजन ने यह टिप्पणी आज्ञाकारी और असमर्थित के रूप में की थी क्योंकि किसी भी कारण से इसे ऐसा दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता जिसे अरुणा रानी के मामले में खंड पीठ द्वारा नजरअंदाज किया गया हो। यह संभव है कि चिंतन और आगे की जांच पर विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा जैसा कि हमने इन मामलों में लिया है। इसलिए हम अरुणा रानी बनाम जिला बोर्ड, अमृतसर (1) मामले में खंड पीठ के साथ सहमति व्यक्त करेंगे कि कुल सीमा रु। अनुच्छेद 276 में निर्धारित 250 रुपए प्रति वर्ष व्यवसायों, व्यापारों, नौकरियों

और रोजगारों पर करों से संबंधित है जो प्रत्येक को State या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है। इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ जटिलता के कानून के सवाल के रूप में हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

नरूला, न्यायाधिपति - मेरे न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर, न्यायाधिपति द्वारा तैयार किए गए निर्णय में सभी प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है और उनमें से किसी को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में दोनों कर, यानि कि, राज्य विधानमंडल द्वारा 1956 के पंजाब व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम 7 की धारा 3 के तहत लगाया गया एक और साथ ही दूसरा जो मूल रूप से जिला बोर्ड, गुड़गांव द्वारा लगाया गया था, पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 की धारा 31 के तहत, और फिर पंचायत समिति, बल्लभगढ़ (प्रतिवादी नं। 2) पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत, प्रवेश संख्या द्वारा स्वीकार्य रूप से कवर और अधिकृत हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II का 60. श्री बृजबंस किशोर ने स्वीकार किया कि हीराभाई आशाभाई पटेल और अन्य बनाम बम्बई राज्य और अन्य⁷ वलाईती राम नाथू रेन बनाम नगरपालिका समिति, रूपर (3) और किसान सुपुडू इंगले बनाम भुसावल बरो नगर पालिका, भुसावल और अन्य⁸ में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल को न केवल स्वयं विधान बनाने की अनुमति है, बल्कि स्थानीय सरकार के किसी भी विषय के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करने की भी अनुमति है और यह कि व्यवसायों, व्यापारों, नौकरियों या रोजगारों पर कर लगाने की शक्ति स्थानीय सरकार के उद्देश्य के लिए है। एक ही व्यक्ति या एक ही संपत्ति पर दोहरे कराधान के प्रासंगिक वैधानिक और संवैधानिक सीमाओं के भीतर अनुमत होने के सवाल पर, मेरे विद्वान भाई से जो हुआ है, उसमें मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जैसे ही राज्य विधानमंडल ने पंजाब अधिनियम (7 of 1956) पारित किया था और विशेष रूप से 20 अक्टूबर, 1956 को उसका प्रभावी होने के

⁷ A.I.R. 1955 Bom. 185

⁸ A.I.R. 1966 Bom. 15

बाद, कर लगाने के लिए स्थानीय निकाय या जिला परिषद को अपना अधिकार सौंपने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त हो गई थी क्योंकि राज्य ने अधिनियम की अनुसूची के तहत उच्चतम आय समूह पर अधिकतम अनुमेय सीमा, यानी 250 रुपए प्रति वर्ष का कर लगाया था। सारतः, तर्क यह था कि प्रविष्टि संख्या 60 अनुच्छेद 276 के खंड (2) के साथ पठित पर 1956 के पंजाब अधिनियम 7 द्वारा कब्जा कर लिया गया था और खेत के किसी भी हिस्से को खुला नहीं छोड़ा गया था ताकि स्थानीय प्राधिकरण को समान कर लगाने की अनुमति मिल सके। पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम 1883 में पारित किया गया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर जिला बोर्ड, गुड़गांव द्वारा 1956 से बहुत पहले लगाया गया था। हालांकि मूल रूप से जिला बोर्ड द्वारा लगाए गए कर की अधिकतम सीमा कथित रूप से रु। 50 मात्र; और ऐसा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142-क के अधीन अधिरोपित सीमा के कारण होना चाहिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं थे कि उक्त कर की अधिकतम सीमा जिला बोर्ड द्वारा 26 जनवरी, 1950 के कुछ समय बाद और 20 अक्टूबर, 1950 से पहले बढ़ाकर रु. 250, जैसा कि संविधान द्वारा अनुमत है। अतः तथ्य यह है कि प्रविष्टि सं. 1966 का पंजाब अधिनियम 7 पारित होने से पहले जिला बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 276 (2) के साथ पठित 60 तक पहुंचा गया था। यह महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी रिट याचिका में उक्त पंजाब अधिनियम की वैधता पर आक्षेप नहीं किया है और न ही उसने हमारे समक्ष सुनवाई में उक्त अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है। दूसरे प्रत्यर्थी ने केवल समिति अधिनियम की धारा 64 के तहत निहित शक्तियों के आधार पर जिला बोर्ड द्वारा मूल रूप से लगाए गए कर को जारी रखा है। हालांकि राज्य विधानमंडल स्वयं और एक स्थानीय प्राधिकरण जिसे राज्य विधानमंडल की प्रासंगिक शक्तियां सौंपी गई हैं, प्रासंगिक कर लगा सकते हैं, याचिकाकर्ताओं की आपत्ति यह है कि एक बार कर दोनों में से किसी एक द्वारा अधिकतम अनुमेय सीमा तक लगाया जाता है, ऐसे किसी भी अतिरिक्त कर को लागू करने की दूसरे की शक्ति अनुच्छेद 276 द्वारा लगाई गई संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करती है(2). चूंकि यह सभी पक्षों का सामान्य मामला है कि राज्य द्वारा लगाया गया कर और साथ ही जिला बोर्ड द्वारा लगाया गया कर

और पंचायत समिति द्वारा जारी रखा गया कर व्यक्तिगत रूप से रुपये से अधिक नहीं है। 250 मामले के इस पहलू पर विचार करना पूरी तरह से अनावश्यक होगा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रु। विचाराधीन कर की मात्रा पर 250 रुपए प्रति वर्ष राज्य और स्थानीय प्राधिकरण के लिए संयुक्त रूप से नहीं है, बल्कि कर अधिकारियों के दो समूहों में से प्रत्येक के लिए है। इसलिए, मैं श्री बृज बांस किशोर के इस तर्क की आगे जांच करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अपने विद्वान भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि रुपये की सीमा। अनुच्छेद 276 के खंड (2) द्वारा लगाया गया 250 रुपए प्रति वर्ष राज्य विधानमंडल के लिए है और स्थानीय प्राधिकरण के लिए अलग से, i.e., उनमें से प्रत्येक रुपये की अधिकतम सीमा तक कर सकता है। 250 रुपए प्रति वर्ष और संयुक्त रूप से नहीं

विवाद में कर की सीमा के बारे में मुख्य प्रश्न पर मैं मेरे सम्मानित भाई द्वारा तैयार किए गए निर्णय में तीन महत्वपूर्ण शब्दों, यानि कि, "कुल", या" और "करों" को दिए गए अर्थ के साथ पूरी तरह से सहमत हूं और तर्क के साथ मेरे न्यायमूर्ति ने उक्त अभिव्यक्ति को अपने प्रभुता के तरीके से समझने के लिए अपनाया है। एक ही बात को दूसरे तरीके से कहने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 276 (2) को फिर से लिखने की स्वतंत्रता को लगभग उल्टा ले सकता हूं।

"किसी एक व्यक्ति के संबंध में देय कुल राशि-

(i) राज्य या

(ii) किसी एक स्थानीय प्राधिकरण (जो नगरपालिका, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण हो सकता है) को

व्यवसायों, व्यापारों, नियुक्ति और रोजगार पर करों के रूप में 250 रुपये से अधिक नहीं होगी।".

उपर्युक्त तरीके से अनुच्छेद 276 के प्रासंगिक खंड को फिर से लिखना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 250 रुपए को राज्य के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरण के लिए अलग से लगाया गया है, न कि संयोजन के रूप में। यदि "कुल" शब्द को "राज्य या किसी एक स्थानीय प्राधिकरण को देय राशि" "अभिव्यक्ति के

साथ नहीं जोड़ा गया था, तो यह अर्थ लगाया जा सकता था कि 250 रुपए खंड में गणना किए गए करों में से प्रत्येक के लिए था, यानि., पेशे पर कर के लिए, व्यापार पर कर, कॉलिंग पर कर या रोजगार पर कर। इसी तरह यदि "कर" शब्द के लिए संविधान सभा द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द "कर" होता तो शायद उसी शरारत को रोकना संभव नहीं होता जिसका स्पष्ट रूप से कभी इरादा नहीं था। इसलिए, मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूँ कि "कुल" शब्द और प्रासंगिक कर को बहुवचन में व्यक्त करने का विकल्प जानबूझकर और सार्थक है और पंचायत समिति की ओर से और न्यायमित्र द्वारा अनुच्छेद 276 के खंड (2) पर रखी जाने वाली व्याख्या के साथ पूरी तरह से संगत है। मेरे विद्वान भाई ने भी अपने द्वारा तैयार किए गए निर्णय में एक उदाहरण दिया है जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अमजीप अम्बाजीपेटा और अन्य बनाम पूर्वी गोदावरी नारियल और तम्बाकू बाजार समिति, राजमुंदरी (6) (A.I.R. के पृष्ठ 404 पर जिम्मन 40) के गरीमेल सत्यनारायणा और अप्पना वेरनकटाराजू फर्म में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रासंगिक मार्ग। रिपोर्ट) जिसका उल्लेख शमशेर बहादुर, जे. द्वारा भी किया गया है, उसी निष्कर्ष पर पहुंचने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक है।

इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत होने के कारण कि विधायी आशय एक सादे वैधानिक प्रावधान पर विचार करने में प्रासंगिक नहीं है और इसकी व्याख्या इसकी सादे भाषा के अनुसार की जानी चाहिए, भले ही यह विधायिका के संभावित इरादे के अनुरूप न हो और इस तथ्य से भी अवगत होने के कारण कि कानूनी प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, मैं इस स्तर पर प्रासंगिक प्रावधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में ध्यान दे सकता हूँ ताकि उन परिस्थितियों की सराहना की जा सके जिनमें प्रश्न में खंड अधिनियमित किया गया था। मेरे विद्वान भाई ने पहले ही भारत और बर्मा (विविध संशोधन) अधिनियम, 1940 (3 और 4 जीईओ) द्वारा अंतःस्थापित धारा 142-ए का उल्लेख किया है। 6, अध्याय 5) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में। यद्यपि धारा 142-क की उपधारा (2) के दायरे में रुपये से अधिक प्रासंगिक कर का अधिरोपण। मार्च, 1939 के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिवर्ष 50 रुपये की दर से कर देना पूर्णतः निषिद्ध था, उस उपधारा के परन्तुक ने प्रांतों के व्यवसायों आदि पर कर अधिरोपित करने के अधिकार को जारी रखा, जो रु. 31 मार्च, 1939 से पहले 50 रुपये प्रति

वर्ष। ऐसे मामलों में रुपये की सीमा के संचालन से छूट दी गई थी। 50 धारा 142-क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा। हालांकि अधिकांश प्रांतों में, प्रासंगिक प्रविष्टि के तहत लगाए गए कर रुपये तक थे। किसी भी एक व्यक्ति के संबंध में, मद्रास प्रेसीडेंसी में अधिकतम दर रु। 1, 00 (मद्रास शहर में प्रति वर्ष 1 और रु। शहर के बाहर के जिलों में 550 प्रति वर्ष। मद्रास प्रेसीडेंसी में एक व्यापक मांग थी कि उस प्रांत में विचाराधीन कर की अधिकतम सीमा को भी घटाकर रु। 50 प्रति वर्ष। इस मांग को 2 से 5 नवंबर, 1941 को संघीय विधानमंडल द्वारा 1941 के व्यवसाय कर सीमा अधिनियम XX के पारित होने से पूरा किया गया था। अधिनियम में यह उपबंध किया गया था कि जबकि यह समीचीन था कि ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के संबंध में सुसंगत कर के रूप में देय कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होगी। 50 प्रति वर्ष, यह अधिनियमित किया गया था कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के होते हुए भी, किसी एक व्यक्ति की बाबत किसी प्रांत को या किसी प्रांत के किसी एक स्थानीय प्राधिकारी को सुसंगत कर के रूप में देय कोई कर, 1942 के अधिनियम के प्रारंभ से और उसके पश्चात् उस सीमा तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जिस तक ऐसे करों की सीमा 500 करोड़ रुपये से अधिक है। 50 प्रति वर्ष। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 256 जो अब अनुच्छेद 276 के अनुरूप है, रुपये की सीमा। इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। 250 रुपए प्रति वर्ष। संबंधित अनुच्छेद की चर्चा 9 अक्टूबर, 1949 को भारत की संविधान सभा में हुई, अनुच्छेद में विभिन्न संशोधन पेश किए गए। प्रोफेसर शिबबेन लाई सक्सेना ने सुझाव दिया कि रुपये की सीमा। 250 को संविधान में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, तो जहां तक स्थानीय निकायों का संबंध है, सीमा को वार्षिक आय के एक प्रतिशत या रु। 1, 000 प्रति वर्ष। प्रस्तावित संशोधन पर बोलने वाले विधानसभा के विभिन्न सदस्यों में से श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंका (खंड IX, 1949 द कांस्टीट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का पृष्ठ 298) ने अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहा:-

"(भारत सरकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद) परिणाम यह है कि एक व्यक्ति जिसे रु। 30 आय-कर के रूप में प्रांतीय सरकार को समान राशि का भुगतान करना पड़ता है।

इस लेख के आधार पर उसे रुपये का भुगतान किया जा सकता है। नगर निगम को 250 रु. आय-कर के रूप में केंद्र को जो भुगतान करना है, उसके अलावा प्रांतीय सरकार को 250”

इसके बाद दिए गए विभिन्न भाषणों में, जिसमें माननीय बी.आर. अम्बेडकर का भाषण भी शामिल था, यह नहीं कहा गया था कि श्री हिम्मत सिंगका की धारणा किसी भी तरह से गलत थी। डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में (पृष्ठ 301 पर) इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“यह अनुच्छेद, जो मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ, वास्तव में सामान्य नियम का एक अपवाद है कि संविधान में राज्य के अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरणों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कुछ स्थानीय प्राधिकरण हैं और उनका प्रशासन कुछ करों पर निर्भर है जो वे लगा रहे हैं और यद्यपि वे कर आयकर कानून की भावना के विपरीत हैं, प्रारूपण समिति, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान स्थिति को जारी रखने की अनुमति देने के लिए तैयार है। वास्तव में विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित 250 रुपए की सीमा पर आपत्ति ज़ाहिर की गई। प्रस्ताव यह था कि इसे घटाकर 150 रुपये किया जाना चाहिए। पुनर्विचार पर प्रारूपण समिति ने निर्णय लिया कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान स्थिति के तहत उस सीमा तक और उस दायरे के भीतर इसे जारी रखा जा सकता है जो कि आज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह एक विशुद्ध अपवाद है, और सिद्धांत रूप में मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूँ और इसलिए, मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो किसी भी माननीय मित्र द्वारा पेश किया गया हो।”

इतिहास को पूरा करने के लिए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि संशोधन को नकार दिया गया था और प्रारूप संविधान के खंड 256 को संविधान के अनुच्छेद 276 के रूप में पारित करते समय, राज्य के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरणों के लिए 250 रुपए की सीमा को बनाए रखा गया था। इसलिए, मुझे अपने विद्वान भाई से सहमत होने में और यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को कर का भुगतान करना किसी व्यक्ति का समग्र दायित्व नहीं है, जो

संविधान के अनुच्छेद 276(2) द्वारा कुल 250 रुपए निर्धारित किया गया है, परन्तु यह सीमा भिन्न-भिन्न है, यानि कि एक तरफ राज्य के साथ-साथ दूसरी तरफ संबंधित स्थानीय प्राधिकरण सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 60 के अन्तर्गत किसी एक व्यक्ति के संबंध में अधिकतम 250 रुपए का कर लगा सकता है।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इन मामलों में संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या के प्रश्न के शामिल होने को देखते हुए, जो प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं है, हमें पक्षों को उनके द्वारा किए गए खर्चों को वहन करने के लिए छोड़ देना चाहिए।

गुरदेव सिंह, न्यायाधिपति:- मैं अपने विद्वत भाई शमशेर बहादुर, न्यायाधिपति से सहमत हूँ।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675